

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान असनूर सिंह बनाम लखविन्द सिंह आदि
 करण संख्या 31 / 2022 अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
20/3/23	<p>आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी सरसक माता पवनदीप कौर उपस्थित आधी बिनकी पहचान उनके अधिवक्ता के द्वारा की गई। वादी के द्वारा प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में वादी का अपने पिता लखविन्द सिंह के साथ सम्बन्ध है। इसलिये पत्रावली आज पेशी में ली जाकर इसी स्तर पर खारिज की जावे।</p> <p>वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 मारपीट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत हाकर नम्बर से कम होकर दाखिल वफतरे है।</p>	<p>20/3/23 Not Press Lawered in पंचनामा Singh Ltd</p>

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

